भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4140
उत्तर देने की तारीख : 18.07.2019

हज तीर्थ यात्रा हेतु व्यवस्था

4140. श्री के॰ नवासखनीः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हज तीर्थयात्रा हेतु की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तीर्थयात्रियों को प्रत्येक वर्ष अपर्याप्त सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बारे में शिकायतें रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन मुद्दों/समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क): भारत सरकार अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करके भारत और सऊदी अरब दोनों में भारतीय हज यात्रियों के कल्याण के लिए व्यापक प्रबंध करती है। भारतीय हज यात्रियों को उनके सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक हज अनुभव के लिए आवश्यक सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हज यात्रियों के लिए किए जा रहे प्रबंध निम्नानुसार हैं:

(i) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सऊदी अरब में मक्का और मदीना में हज यात्रियों को उनके प्रवास के दौरान चौबीस घंटे सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अनेक महिला कर्मचारियों सहित समन्वयकों/सहायक हज अधिकारियों/हज सहायकों/डाक्टरों/पैरा–मेडिकल स्टाफ के रूप में हज यात्रा के दौरान प्रशासनिक और चिकित्सा कर्मचारियों को तैनात करता है। यह हज के दौरान सऊदी अरब में स्थापित अस्थायी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में प्रयोग हेतु सीजीआई, जेद्दा के लिए दवाइयों/चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की भी व्यवस्था करता है।

(ii) भारतीय हज समिति (एचसीओआई), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधानिक संगठन है जिसे मौजूदा नीति के अनुसार भारत में हज यात्रियों के लिए सभी व्यवस्थाएं करने के लिए अधिदेश दिया गया है। भारतीय हज समिति इच्छुक हज यात्रियों से आवेदन आमंत्रित करती है, यात्रियों का चयन करती है, यात्रियों के लिए सामूहिक बीमा, टीकाकरण, यात्रियों की पहचान के लिए स्टेनलेस स्टील ब्रेसलेट/तिरंगी पहचान पत्र की व्यवस्था करती है, सऊदी रियाल में विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करती है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की हज समितियों के साथ निकट समन्वय करते हुए अभिमुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। यह नई दिल्ली स्थित सऊदी अरब के दूतावास और मुम्बई स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय करके हज वीजा के पृष्ठांकन के लिए और राज्य हज समितियों के साथ समन्वय करके हज यात्रियों को इसके वितरण की भी व्यवस्था करती है। यह सऊदी अरब में हज यात्रियों के ठहरने के दौरान उनकी सहायता हेतु खादिम उल हुज्जाज भी तैनात करती है।

(iii) विदेश मंत्रालय इच्छुक हज यात्रियों के लिए समय पर पासपोर्ट और हज वीजा जारी किया जाना सुसाध्य बनाता है और हज मामलों पर सऊदी सरकार के साथ संचार को सुलभ बनाता है।

(iv) भारत के महाकौंसलावास (सीजीआई), जेद्दा, का दायित्व है कि वह भारतीय हज समिति के साथ समन्वय करके मक्का और मदीना में आवास और स्थानीय यातायात के लिए प्रबंध करें। ये हज यात्रियों के सामान्य कल्याण और स्वास्थ्य की भी देखभाल करते हैं और जब तक वे सऊदी अरब में होते हैं तो उनकी शिकायतों को दूर करते हैं। सीजीआई, जेद्दा भारतीय हज यात्रियों को विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते हैं। भारतीय हज यात्रियों के प्रबंधन और कल्याण के लिए हज यात्रा के दौरान सऊदी अरब में अस्थायी कार्यालय, अस्पताल और डिस्पेंसरियां खोले जाते हैं। कुल छह शाखा डिस्पेंसरियां (10 अजीजियां में और 6 एनसीएनटी जोन में) और मदीना में 3 शाखा डिस्पेंसरियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, अजीजियां में 40 बिस्तर वाला अस्पताल, 30 बिस्तर वाला अस्पताल, एनसीएनटी जोन में 10 बिस्तर वाला अस्पताल तथा मदीना में 10 बिस्तर वाला अस्पताल भी स्थापित किया गया है ताकि हज यात्रियों के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा, हज यात्रियों के कल्याण के लिए 17 एम्बुलेंस भी चलाई जा रही है। डॉक्टरों और पैरा–मैडिक्स की एक मोबाइल टीम भी रोजाना ऐसी यात्रियों की उनके भवनों में देखभाल करने के लिए तैनात की गई है जो अधिक जोखिमग्रस्त वर्ग में है और 70 वर्ष की अधिक की आयु के हैं तथा गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं। इसके अलावा, गंभीर रूप से बीमार यात्रियों को सऊदी अस्पतालों में भेज दिया जाता है जहां उन्हें निःशुल्क चिकित्सा उपचार मुहैया कराया जाता है।

(v) नागर विमानन मंत्रालय भारतीय हज समिति के यात्रियों के लिए एयर चार्टर संचालन के लिए व्यवस्था करने हेतु नोडल मंत्रालय है। यह भारत में 21 नामित आरोहण स्थलों से विभिन्न एयरलाइनों द्वारा एयर चार्टर संचालनों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है और निविदाओं को अंतिम रूप देता है। यह हज अवधि के दौरान एयर चार्टर संचालनों का पर्यवेक्षण भी करता है। चयनित एयरलाइनें, संबंधित विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय हज समिति और राज्य हज समिति यात्रियों के आरोहण स्थल और अवरोहण में सहायता प्रदान करने के लिए आरोहण स्थलों पर अधिकारियों की तैनाती करते हैं।

(vi) स्वास्थ्य मंत्रालय हज यात्रियों के लिए आवश्यक टीकों की अपेक्षित संख्या और ये मदें यात्रियों को मुहैया करवाने के लिए भारतीय हज समिति/राज्य हज समिति के साथ समन्वय करके राज्य/जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को इनकी समय पर आपूर्ति करने की व्यवस्था करता है।

(ख): सीजीआई, जेद्दाह यात्रियों के साथ संपर्क करने के लिए सूचना और मोबाइल प्रौद्योगिकी एवं सोशल मीडिया का व्यापक प्रयोग करते हैं। जब हज यात्री सऊदी अरब में होते हैं, वहां सीजीआई, जेद्दा के पास यात्रियों की शिकायतें दूर करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की शिकायत निवारण प्रणाली होती हैं। इसने 'भारतीय हज सूचना प्रणाली' नामक मोबाइल ऐप तैयार किया है जिसमें यात्रियों के सभी विवरण रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, हज यात्रा के दौरान सीजीआई, जेद्दा द्वारा स्थापित प्रत्येक शाखा कार्यालय में, यात्रियों की शिकायतें अधिकारियों द्वारा तत्काल देखी जाती हैं और स्थानीय सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करके इनका समाधान किया जाता है। भारतीय हज समिति संबंधित प्राधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करके भारत में यात्रियों की शिकायतों का निवारण करती है।

******